

मुकदमा नम्बर - 49/2017

1. मुमताज अजी खां आयु 65 वर्ष पुत्र लादूखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम बलोद भाखरां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
2. हबीब खां आयु 59 वर्ष पुत्र लादूखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम बलोद भाखरां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

...वादीगण

बनाम

1. मनूदीनखां आयु 82 वर्ष पुत्र श्री लादूखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम बलोद भाखरां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
2. शोकत अली खां पुत्र लादूखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम बलोद भाखरां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
3. तहसीलदार एवं सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी व सहायक भूमि अभिलेख अधिकारी फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
4. हल्का पटवारी पटवार हल्का बलोद छोटी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0



.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत उद्घोषणा / संशोधन खाता व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता

श्री भीमसिंह - वादीगण

श्री ललित चोटिया - प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक:- 11.04.2018

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नंबर 68/2 रकबा 1.96 हैक्टेयर वर्तमान खसरा नंबर 156 रकबा 1.96 हैक्टेयर, खसरा नंबर 181 रकबा 0.91 हैक्टेयर वर्तमान खसरा नंबर 334 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नंबर 250 शामिल नंबर 251 रकबा 5.05 हैक्टेयर वर्तमान खसरा नंबर 516 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 517 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 518 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 519 रकबा 2.54 हैक्टेयर वाके ग्राम बलोद भाखरां तहसील फतेहपुर में अवस्थित है।

उक्त भूमि खसरा नंबर 68/2, 181 व 250 शामिल नंबर 251 कुल रकबा 7.92 हैक्टेयर जिनमें वर्तमान खसरा नंबर 156,334,516,517,518 व 519 कुल रकबा 7.91 हैक्टेयर वाके ग्राम बलोद भाखरां वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की पैत्रिक वंशानुगत कृषि भूमिया है जिनका पूर्व में काबिज, खातेदार, काशतकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का पिता लादूखां था जिसके नाम उक्त भूमियों की खातेदारी विधिवत बनी हुई थी।

का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा भूमि-भाग साधिकार है और इसका काश्त निरन्तर निर्बाध रूप से साधिकार आज तक चला आ रहा है और इसी कदर खातेदारी उनके नाम विधिवत दर्ज थी।

उक्त भूमियों वादीगण को उत्तराधिकार में प्राप्त होकर उक्त भूमियों में वादीगण प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा भूमि - भाग होने तथा इसी कदर वादीगण का भौतिक कब्जा काश्त होने पर भी उक्त भूमियों की खातेदारी में सर्वथा गलत व अवैध रूप से बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के सहवन से प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के द्वारा उक्त वादीगण का नाम हटा दिया गया तथा उक्त भूमियों की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अकेलों के नाम दर्ज कर दी जो वादीगण के उक्त भूमियों के हम अधिकारों तथा कब्जे के समक्ष अकृत शून्य व प्रभावहीन है।

वादीगण को उक्त भूमियों खसरा नंबर 68/2,81,250,251 जिनका वर्तमान खसरा नंबर 156 रकबा 1.96 हैक्टेयर, खसरा नंबर 334 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नंबर 516 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 517 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 518 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 519 रकबा 2.54 हैक्टेयर वाके ग्राम बलोद भाखरां वादीगण को उत्तराधिकार में प्राप्त होकर वादीगण के खातेदारी की होने तथा वादीगण के ही कब्जे काश्त की निरन्तर आज तक होने से वादीगण उक्त भूमियों के सम्पूर्ण रकबों के अपने 1/4, 1/4 हिस्सा भूमि -भाग की खातेदारी अपने नाम उदघोषित करवाने तथा खाता बनाम प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अकेलों के नाम निरस्त उदघोषित करवाने तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 प्रत्येक के नाम 1/4, 1/4 हिस्सा भूमि भाग के अनुसार खाता संशोधित करवाने के अधिकारी है।

वादीगण के प्रतिवादी संख्या 03 व 04 को उक्त भूमियों की गलत दर्ज की गई खातेदारी वादीगण के नाम संशोधित कर देने का कई बार निवेदन किया किन्तु उन्होने खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज नहीं की अतः यह वाद संस्थित करना आवश्यक हुआ है जिनका वाद कारण हक नालिस वादी को हासिल है।

वादी वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नंबर 68/2 रकबा 1.96 हैक्टेयर वर्तमान खसरा नंबर 156 रकबा 1.96 हैक्टेयर, खसरा नंबर 181 रकबा 0.91 हैक्टेयर वर्तमान खसरा नंबर 334 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नंबर 250 शामिल नंबर 251 रकबा 5.05 हैक्टेयर वर्तमान खसरा नंबर 516 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 517 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 518 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 519 रकबा 2.54 हैक्टेयर वाके ग्राम बलोद भाखरां तहसील फतेहपुर के 1/4, 1/4 हिस्से का काबिज खातेदार, काश्तकार वादीगण को उदघोषित किया जावे। तथा यह भी उदघोषित किया जावे की उक्त भूमियों में वादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा भूमि-भाग है।




उपरोक्त अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)


आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलबी जारी की गयी। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के मध्य राजीनामा पेश हुआ। प्रकरण में तहसीलदार फतेहपुर से रिपोर्ट तलब की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है कि भूमि खसरा नंबर 68/2 रकबा 1.96 हैक्टेयर वर्तमान खसरा नंबर 156 रकबा 1.96 हैक्टेयर, खसरा नंबर 181 रकबा 0.91 हैक्टेयर वर्तमान खसरा नंबर 334 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नंबर 250 शामिल नंबर 251 रकबा 5.05 हैक्टेयर वर्तमान खसरा नंबर 516 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 517 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 518 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 519 रकबा 2.54 हैक्टेयर वाके ग्राम बलोद भाखरां तहसील फतेहपुर के 1/4, 1/4 हिस्से का काबिज खातेदार, काश्तकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उदघोषित किये जाने व इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।




उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

निर्णय आज दिनांक 11.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(रेनु मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

बनाम

1. मनूदीनखां आयु 82 वर्ष पुत्र श्री लादूखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम बलोद भाखरां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
2. शोकत अली खां पुत्र लादूखां जाति कायमखानी निवासी ग्राम बलोद भाखरां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
3. तहसीलदार एवं सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी व सहायक भूमि अभिलेख अधिकारी फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
4. हल्का पटवारी पटवार हल्का बलोद छोटी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत उदघोषणा एवं राजस्व रिकार्ड में संशोधन अन्तर्गत धारा 88
रा0का0अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 रा0भू0 रा0 अधिनियम

मुकद्दमा नं.....49.....सन्.....2017.....

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.....मेरे.....

व हाजिरी...श्री भीमसिंह एडवोकेट.....मिनजानिब मुद्दई रूबरू.....श्री

.....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि भूमि खसरा नंबर 68/2 रकबा 1.96 हैक्टेयर वर्तमान खसरा नंबर 156 रकबा 1.96 हैक्टेयर, खसरा नंबर 181 रकबा 0.91 हैक्टेयर वर्तमान खसरा नंबर 334 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नंबर 250 शामिल नंबर 251 रकबा 5.05 हैक्टेयर वर्तमान खसरा नंबर 516 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 517 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 518 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 519 रकबा 2.54 हैक्टेयर वाके ग्राम बलोद भाखरां तहसील फतेहपुर के 1/4, 1/4 हिस्से का काबिज खातेदार, काशतकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उदघोषित किये जाने व इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....-मुबलिग.....-बाबत.....-
खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह.....-फीसदी सालाना आज की तारीख से
तरीख अदायगी तक.....का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख11.....माहअप्रैल.....सन् 2018 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत.....
.....अधिकारी.....
फतेहपुर (सीका)

ओहदा.....

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
अर्जी दावा	3		स्टाम्प अर्जी दावा	—	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महन्ताना वकील	—		महन्ताना वकील	—	
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान	—	
फीस कमिश्नर	—		फीस कमिश्नर	—	
बबत इजराय हुक्मनामा	—		बबत इजराय हुक्मनामा	—	
मुतफरिक	—		मुतफरिक	—	
मीजान	4			1	

नोट — इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।



उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)